न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 185/2015

गगन कुमार शर्मा पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी 3 एम.एल.डी.'बी' तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार घडसाना। ——रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 20.04.2010

उपस्थितिः–

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 27.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष चक 4 एम.एल.डी.बी के मु.नं. 7/55 एवं 7/63 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रा.पत्र पेश किया गया। उक्त प्रा.पत्र पर कार्यालय टिप्पणी लेकर प्रार्थी को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिये गये। दिनांक 30.04.2010 को प्रार्थी का प्रा.पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवेदन 10.04.2008 को पेश किया गया है जबकि इस अवधि में भूमि आवंटन सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। बिना विज्ञप्ति मूल रसीद के आवेदन खारिज किया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना

27/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सुने एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा राशि जमा करवायी थी किन्तु वह रसीद उससे गुम हो गई। इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है। इसके अलावा गजट की फोटो प्रति पेश की है जिसमें आवेदित भूमि गजट में अंकित है। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलांट का प्रा.पत्र खारिज कर दिया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर विवादित भूमि को आवंटन करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि आवंटन हेतु आवेदित भूमि गजट में साया नहीं थी। अपीलांट द्वारा गजट की प्रति एवं राशि जमा करवाने की रसीद पेश नहीं करने पर अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज कर दिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 20.04.2010 के विरूद्ध दिनांक 31.10.2014 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलाधीन आदेश की इबारत है कि पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी को जारी नोटिस तामील होकर प्राप्त होने के बाबजूद प्रार्थी द्वारा मूल रसीद पेश नहीं की गई। प्रार्थी के आवेदन पत्र का अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि आवेदन दिनांक 10.04.2008 को पेश किया गया जबकि इस अवधि में भूमि आवंटन सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। बिना विज्ञप्ति, मूल रसीद के प्राप्त आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

अपीलांट का आवेदन दो grounds पर खारिज किया है यथा विवादित भूमि के आवंटन की विज्ञप्ति जारी न होना तथा मूल रसीद पेश नहीं करना बाबत अपीलांट अभिभाषक द्वारा राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति कार्तिक शाके 1910 नवम्बर 3, 1988

27/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

भाग सं. 31 द्वारा चक 4 एम.एल.डी. बी ॥ के मु.नं. 7/55 व 7/63 में 25 बीघा भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध होने की विज्ञप्ति थी। छाया प्रति पेश की जो रिकार्ड से साबित है कि अपीलांट के आवेदन खारिज की तिथि 20.04.2010 से पूर्व दिनांक 03.11.1988 को भूमि की विज्ञप्ति जारी हो चुकी थी तथा रसीद की प्रति बाबत इस आशय का शपथ पत्र पेश किया कि प्रयासों के बाबजूद रसीद पेश नहीं मिली, मगर राशि जमा करवायी जा चुकी है तथा अपीलांट को अधी. न्यायालय द्वारा सुना भी नहीं गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2010 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर